न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 73/16
किस्म – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.11.2020

1 कन्हैया उम्र 68 साल पुत्र लटटे जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई
2 किशन उम्र 63 साल पुत्र रूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तह. नदबई
3 मोहनदेई उम्र 62 साल पत्नि छिददी
4 नदकिशोर उम्र 39 साल पुत्र छिददी
5 श्रीमान उम्र 28 साल पुत्र छिददी
6 रीना उम्र 22 साल पुत्री छिददी .– जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई

प्रार्थी/सायल

बनाम

1. हरीसिंह उम्र 60 साल पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई
2. नथुआ उम्र 36 साल
3. भूपसिंह उम्र 3 साल पिता हरीसिंह जाति जाटव निवासी कबई तह. नदबई
4. अतरसिंह उम्र 28 साल
5. सोवरन उम्र 45 साल पुत्र परभाती जाति जाट निवासी कबई तह. नदबई
6. ओमप्रकाश उम्र 45 साल पुत्र परभाती जाति जाट निवासी कबई तह. नदबई
7. दलबीर उम्र 35 साल पुत्र डरोला जाति जाट निवासी कबई तह. नदबई
8. हरीचरन उम्र 50 साल पुत्र पूरन जाति जाट निवासी कबई तह. नदबई

अप्राथी/गैरसायलान

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। यह कि उपरोक्त उनवानी बादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है।
2. यह कि आराजी खसरा नम्बर 4677 रकबा 0... बा... कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसके 1/3, 1/3 हिस्से पर प्रार्थीगण सं. 1 ... प्रत्येक खातेदार व काबिज है। तथा 1/3 हिस्से पर प्रार्थीगण सं. 3 लगायत 6 ... बराबर खातेदार की ... काबिज है। सत्यप्रति जमाबंदी सं. 2070 से 2073 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि सहखातेदारी छिददी पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई की मृत्यु हो चुकी है। जिसके प्रार्थीगण सं. 3 लगायत 6 बारिस है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

4. यह कि विवादित आराजी वर्णित सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी के 1/3 हिस्से पर राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से प्रार्थीगण सं. 3 ल. 6 के पति व पिता मृतक छिददी के नाम के सहखातेदारी के इन्द्राजात चले आ रहे है। जिससे प्रार्थीगण सं. 3 ल.6 के अधिकारो पर प्रतिकूल असर पडता है। अतः प्रार्थीगण सं. 3 व 6 अपने आपको विवादित आराजी वर्णित सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी पर 1/3 हिस्सा पर बाहि. बराबर खातेदार काबिज घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा मृतक छिददी के नाम के इन्द्राजात खातेदारी को कल मजन करा पाने के अधिकारी है।

5. यह कि विवादित आराजी वर्णित सं. 2 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 4677 रकबा 0.12 बाके कबई द्वितीय तहसील नदबई गांव की आबादी के नजदीक है। जिसे प्रार्थीगण कृषि जींस व कृषि सामान रखने ब मवेशी आदि बांधने के काम मैं लेते चले आ रहे है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण ने कृषिजींस व कृषि सामान रखने हेतु तीन छप्परपोश कोठा बना रखे हैं तथा बिटौरा व घूंडा रखा हुआ है। तथा भूस रखने के लिए दो बुर्जी भी बना रखी है।

6. यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 ने व मुकाम कबई तहसील नदबई पर प्रार्थीगण को दिनांक 08.04.2016 को यह एलानियां धमकी दी है कि वे जबरदस्ती लट्ठ के बल पर विवादित आराजी वर्णित चरणं सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी खसरा नम्बर 4677 रकबा 0.12 बाके कबई द्वितीय तहसील नदबई पर जबरन कब्जा कर के रहेंगे तथा प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करके रहेंगे। अप्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त धमकी को कामयाब करने की गरज से विवादित आराजी में घूंडा डाल दिया व लकडी रख दी तथा ऊपला की बिटोरीया लगा दी तथा दो बुर्जी का निर्माणकर दिया तथा भूस भर दिया एवं पुक्ता निर्माण कर लेने की धमकी दी अगर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 अपनी उपरोक्त धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अजीमक्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नही हो सकेगी अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

7. यह कि प्राइमापेसी केस सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुकदमा मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे तथा विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई नवनी निर्माण न करें तथा प्रार्थीगण को बेदखल न करे। तथा ऐसा कोई कार्य न करे जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर जबाल आबे।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रार्थीगण की आर से श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट उपस्थित हुऐ। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 विरूद्व तामील बाबजूद अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2070 से 73 वाके कबई 2, नकल फोटो प्रति नक्शा ट्रेस वाके ग्राम कबई 2 पेश किये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:08 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी वकल की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र 212 आर... सुनी, प्रार्थी वकील द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराया जिस पर ध्यान दिया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

1. प्राईमाफेसी केस :– प्रार्थी द्वारा दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत खातेदारी घोषणा चाही गयी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 4677 रकबा 0.12 बाके कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसके 1/3, 1/3 हिस्से पर प्रार्थीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक खातेदार व काबिज है। तथा 1/3 हिस्से पर प्रार्थीगण सं. 3 लगायत 6 व हिस्सा बराबर खातेदार की तरह काबिज है। विवादित आराजी पर 1/3 हिस्से पर प्रार्थीगण स. 3 लगायत 6 के पति व पिता मृतक छिदद्दी के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण स. 3 लगायत 6 द्वारा विवादित आराजी मे से 1/3 हिससे की खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है। अतः उपरोक्त विवाद बिन्दु का निस्तारण दावा में तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान के साक्ष्य लेकर सुनवायी के बाद किया जावेगा। तब तक विवादित आराजीयात वाद की बहुल्यता को रोकने के लिए मौके की यथास्थिति बनाये रखने एव निमार्ण नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित है।
2. सुविधा का संतुलन :– प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है।
3. अपूर्ण क्षति :– चूंकि प्रार्थी द्वारा घोषणात्मक दावा पेश किया है। जिसमें अपना हक चाहा है। अगर उक्त विवादित आराजीयात का बेचान तथा आराजी खुर्द –बुर्द होती है तो दावे के निस्तारण में अनावश्यक पेचीदगी होगी, तथा बेजा मुकदमे बाजी बढेगी, तो अपूर्ण क्षति भी प्रार्थी को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 4677 रकबा 0.12 बाके कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है, पर जारीशुदा स्थगन आदेश आदेश कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय के साथ पाबन्द किया जाता है कि दावे के निस्तारण तक विवादित आराजीयात निमार्ण नही करें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर, नदबई
20/11/2020

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज•

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:08 IST
Reason: SelfAttested